न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-45/2017

1- मनोहरलाल पुत्र
2- रमेशकुमार पुत्र
3- प्रकाश पुत्र
4- रामशरण पुत्र
5- प्रभाती पत्नी

रेखा - जाति बलाई निवासी रायपुर पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

--बनाम--

1- क्षेत्रीय वन अधिकारी रैंज पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

2- राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 9-6-2017 द्वारा सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1--श्री बजरंगसिंह शेखावत एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री विधाधर सूण्डा एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 23.1.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/अपीलान्टस् ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 1153/15, 1153/18 कुल किता-2 रकबा 3.03 हैक्टर ग्राम रायपुर पाटन में स्थित है जिसके हाल खसरा नं0 1511/2053 रकबा 0.56 हैक्टर ख0नं0 1523 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 1525 रकबा 0.97 हैक्टर, ख0नं0 1526 रकबा 0.45 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.02 हैक्टर दर्ज हो गया । पहले यह आराजी ख0नं0 1153 किस्म सिवायचक दर्ज थी ।उक्त आराजी में से प्रार्थीगण के पिता/पति रेखा को भूमिहिन होने से 1.01 हैक्टर दिनांक 24-12-75 को आंवटन की गई थी। आवंटन के बाद इस आराजी का नामान्तरकरण तस्दीक किया जाकर प्रार्थीगण के पिता/पति के नाम दर्ज कर दी गई । रेखाराम को उक्त आराजी में ख0नं0 1153 में से 1.01 एवं 1.01 हैक्टर भूमि दो बार आंवटन की गई ।तहसीलदार ने आवंटन के बाद मौका जांच कर मौके पर रेखा राम को 2.02 हैक्टर भूमि का कब्जा नाप जोख कर सम्भला दिया । किन्तु इस आराजी का नक्शे में तरमीम नहीं किया गया । तथा नये सैटलमेन्ट में गलत रूप से तरमीम कर दी गई ।जिसके कारण रेस्पोंडेन्ट सं0-1 इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी कराने पर आमादा है ।जबकि उक्त आराजी बाबत प्रार्थीगण के पिता/पति रेखाराम ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहाँ एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें इस आराजी बाबत दिनांक 15-9-71 को निर्णय पारित किया जिसमें इस आराजी को अ0 प्रार्थीगण के पिता रेखा की ही मानी है । किन्तु अप्रार्थी संख्या-1 इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी करने पर आमादा है । प्रार्थीगण ने मना किया तो धमकी दी की यह आराजी उनकी है। इसमें तारबन्दी करेंगे जिस पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया जिस अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलांट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत ने अपना निर्णय विधि के विपरित पारित किया है ।विवादित आराजी ख0नं0 1153 में से अपीलान्ट के पिता/पति रेखा राम को 1.01 हैक्टर भूमि भूमिहिन मानकर आंवटित की थी। इसके बाद 1.01 हैक्टर भूमि ओर आवंटित की गई इस प्रकार रेखा को 2.02 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया था, और तहसीलदार ने मौके पर नाप जोख कर कब्जा रेखा को समझलाया गया । तब से ही अपीलान्ट अपने पिता के जीवन काल से ही इस आराजी पर काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं । रेखाराम के देहान्त के बाद विरासत के आधार पर उक्त आराजी का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया ।अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता रेखाराम ने इस आराजी को काफी मेहनत कर समतल एवं उपजाऊ बनाया है । जिस पर सैटलमेन्ट अधिकारी ने गलत तरमीम कर दी जिसके आधार पर रेस्पोडेन्ट इस आराजी पर जबरन पीलर रोप कर तारबन्दी करने पर आमादा है। जबकि अपीलान्ट इस आराजी पर अपने पिता के जीवनकाल से लगातार काबिज काश्तकार दर्ज चले आ रहे हैं ।इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या-1 जानबूझकर दक्षिणी पूर्वी हिस्से जिसमें अपीलान्ट का कुआ उक्त आराजीकी सिचाई के लिये बना हुआ है उस पर जबरन वन विभाग की बताकर तारबन्दी करने पर आमादा है ।अदालत मातहत ने सहायक बन्दोबस्त अधि0 अधिकारी जयपुर एवं अलाटमेन्ट आदेशों की अनदेखी कर आदेश पारित किया है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस मे अपील मीमो मे दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सिवायक भूमि थी जिसमें से आराजी का दो बार अपीलान्ट के पिता/पति रेखाराम को भूमिहिन मानकर 1.01 एवं 1.01 हैक्टर कुल 2.02 हैक्टर भूमि का आवंटन आदेश आंवटन नियमों

कब्जा सम्भलाया गया है ।तब से अपीलान्ट इस आराजी पर लगातार काबिज है । इस आराजी पर रेस्पोडेन्ट ने पहले भी बेदखल करने की कार्यवाही की थी तब हमारे पिता/पति रेखाराम ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने वन विभ विभाग के बयान लेकर उक्त आराजी को वन विभाग की न मानकर अपीलान्टस् की की मानी थी । अदालत मातहत ने इस निर्णय का कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है जो विधि के विपरित है । रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट को बेदखल कर देते हैं तो अपीलान्ट को अपूर्णिय क्षति होगी । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अपीलान्ट के कथनों को नकारते हुये अदालत मातहत के आदेश को उचित एवं विधिक बताते हुये कथन किया कि विज्ञप्ति दिनांक 9-4-1964 से आराजी ख0नं0 1153/1 रकबा 359 बीघा 19 बिस्वा को रक्षित वन भूमि घोषित की गई है । जिसका राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम बना हुआ है । अपीलान्ट केवल वन विभाग की आराजी पर अतिक्रमण करने पर आमादा है । उक्त आराजी वन विभाग की है ।जिसके लिए राजस्व न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । दौराने बहस नकल जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 पेश की जिसमे विवादित आराजी वन विभाग की खातेदारी में दर्ज है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दूओं पर विस्तृत विवेचन कर अपना निर्णय दिया है । जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकत नहीं है ।जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नही है । बहस के समर्थन में माननीय सुप्रिम कोर्ट की अपील संख्या- 4099/2015 दिनांक 15-5-2015, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल दिनांक 23-2-15 पेश की जिसमें माननीय न्यायालय को वन विभाग की आराजी के बाबत सुनवाई का अधिकार नहीं है । अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । विद्वान अभिभाषकगणो द्वारा प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 में ख0नं0 1511/2033, 1523, 1525, 1526 कुल किता-4 रकबा2.02 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्टस् के नाम दर्ज है । जमाबंदी सं02056 से 2059 में आराजी ख0नं0 1153/15, 1153/18 कुल किता-2 रकबा 2.02 हैक्टर की खातेदारी अपीलान्टस् के पिता/पति के नाम दर्ज है । आवंटन आदेश दिनांक 24-12-75 में ख0नं0 1153 में से 4 बीघा का आवंटन रेखाराम पुत्र गोलाराम को किया गया है । नामा0सं0 406 में ख0नं0 1153 में से 4 बीघा आंवटन आदेश के आधार पर रेखाराम पुत्र गोलाराम के नाम तस्दीक किया गया है ।जमाबन्दी सं0-2039 से 2042 में ख0नं0 1153/4 रकबा 4 बीघा नामा0 सं0-624 से गैर खातेदारी से खातेदारी में रेखा पुत्र गोला हरिजन के नाम दर्ज है । आवंटन आदेश दिनांक 1-6-85 में ख0नं0 1153/1 में से 4 बीघा का आवंटन रेखाराम को किया गया है । जमाबन्दी सं0-2071 से 2074 में विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है । राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 का नोटिस दिनांक 14-4-68 के लिये जारी किया गया । सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर का निर्णय दिनांक 15-9-71 में वन विभाग ने स्वीकार किया है कि उक्त आराजी वन सीमा के नजदीक है जिसको वन सीमा से पृथक करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर इस आराजी को अपीलान्ट के पिता रेखा की मानकर आदेश पारित किया है । पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के पिता/पति रेखाराम को नियमानुसार आंवटित की है जिस पर अपीलान्ट का पुराना कब्जा है जिसके लिये तहसीलदार के राज0 भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के नोटिस जारी किये हुये है । तथा सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी जयपुर ने भी अपने निर्णय में इस आराजी को वन विभाग की न मानकर वन सीमा से अलग करने के निर्देश देते हुये । इस आराजी को अपीलान्ट के पिता रेखा के कब्जा काश्त की मानी है ।अपीलान्ट

का दावा विचाराधीन है ।इस दौरान अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल किया जाता है तो अपीलान्ट को अपूर्ति क्षति होगी । राजस्व रेकार्ड के अनुसार एवं सहायक बन बन्दोस्त अधिकारी जयपुर के निर्णय से भी विवादित आराजी को अपीलान्ट के कब्जा काश्त की मानी है जिससे प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में है ।विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरो के तथ्य भिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं है ।प्रकरण में पक्षकारो के मध्य ओर अधिक विवाद न हो इसके लिये हम विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 9-6-2017 को खारिज किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 23.1.2018 को सुनाया गया ।

23/1/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर